न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 114/2012 दायरा दिनांक : 01.04.2012

उनवान

1– नंदकंवरी बाई पत्नी श्री द्वारक्या उर्फ द्वारकीलाल जाति कुम्हार निवासी मण्डोला तहसील बारां जिला बारां राज0

2– नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री द्वारक्या उर्फ द्वारकीलाल जाति कुम्हार निवासी मण्डोला तहसील बारां जिला बारां राज0

... अपीलांट

बनाम

1– द्वारक्या उर्फ द्वारकीलाल पुत्र श्री रामनारायण जाति कुम्हार निवासी मण्डोला तहसील बारां जिला बारां राज0

2– रूकमणी बाई पुत्री श्री द्वारक्या उर्फ द्वारकीलाल जाति कुम्हार पत्नी श्री रामविलास निवासी कोयला तहसील बारां जिला बारां राज0

3– मांग्या पुत्र श्री मथुरालाल जाति माली निवासी मण्डोला तहसील बारां जिला बारां राज0

4– महावीर पुत्र श्री गणेश जाति माली निवासी मण्डोला तहसील बारां जिला बारां राज0

5– मोहनलाल पुत्र श्री भैरूलाल जाति माली निवासी मण्डोला तहसील बारां जिला बारां राज0

6– रामेश्वर पुत्र श्री भैरूलाल जाति माली निवासी मण्डोला तहसील बारां जिला बारां राज0

7– राज0 सरकार जरिये तहसीलदार बारां जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित —श्री अरविन्द हाडा अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री महेश प्रकाश गोतम अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 20.02.2018

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उप जिला कलेक्टर बारां के प्रकरण संख्या — 58/2004 निर्णय व डिक्री दिनांक 14—03—2012 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण ने रेस्पोडेंटगण के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 90, 91 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम मण्डोला, तहसील बारां में सैटलमेंट से पूर्व खसरा नम्बर 338 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा आराजी प्रतिवादी नम्बर 1 के पिता रामनारायण के खाते में दर्ज थी, जिसका वर्तमान में खसरा नम्बर 633 रकबा 1.94 हेक्टर है । प्रतिवादी के पिता का स्वर्गवास 4 वर्ष पूर्व हो चुका है । उनकी मृत्यु के बाद आराजी प्रतिवादी नम्बर 1 के खाते में दर्ज की गई । सैटलमेंट विभाग द्वारा 0.40 हेक्टर आराजी कम की गई है जिस पर वादीगण 1 और 2 काबिज काश्त है । प्रतिवादी क्रम 1 ने अपने हिस्से की आराजी घनश्याम, मुकेश कुमार, शिव प्रसाद को 0.64 हेक्टर का बेचान किया है जिसका नामान्तरकरण संख्या 473 खोला गया है, शेष आराजी में से 0.32 हेक्टर पुनः उक्त व्यक्तियों को बेचान की है । इस प्रकार प्रतिवादी क्रम 1 के खाते में 0.98 हेक्टर आराजी शेष बची है जो वादीगण के हिस्से की है, जिस पर कब्जा वादीगण का है । प्रतिवादी क्रम 1

अत्यधिक शराबी है जो शेष बची हुई आराजी को बेचने पर आमादा है । प्रतिवादी क्रम 2 वादी क्रम 1 की पुत्री है जिसका विवाह हो चुका है और वह अपना हिस्सा वादीगण को देना चाहती है । अतः दावा वादीगण स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 633 मिन रकबा 0.98 हेक्टर आराजी से प्रतिवादी नम्बर 1 का नाम हटाया जाकर वादीगण का नाम 1/2 हिस्से में दर्ज किया जाये और कमी की गई आराजी 0.40 हेक्टर भी वादीगण के खाते दर्ज की जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 14.03.2012 को दावा वादी खारिज किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अपीलांटगण ने जो दावा पेश किया था वो दिनांक 16.02.2005 को स्वीकार कर पी डी जारी की गई थी और तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की गई थी, जिस पर रिपोर्ट भिजवायी गई । इस रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09.12.2009 को संशोधित टाईटल प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये जिसके आधार पर अपीलांट ने रेस्पोडेंट नम्बर 3 लगायत 6 को पक्षकार बनाया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई थी जिसमें अंतिम डिक्री जारी की जानी चाहिए थी । अंतिम डिक्री जारी नहीं कर त्रुटि की गई है । अंतिम डिक्री जारी करने के स्थान पर पूर्व में जारी निर्णय को ही खारिज किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट के पक्ष में प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई थी । तहसील से रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त कमी रकबे को पूर्ण कर अंतिम डिक्री जारी करने के स्थान पर दावा ही खारिज किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अपीलांट खातेदार नहीं है । खातेदार घोषित होने के अधिकारी नहीं है । उन्हें दावा लाने का अधिकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में दावा वादी स्वीकार कर दिनांक 16.02.2005 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की है और इस निर्णय की पालना में तहसील से बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त की गई थी । जब किसी न्यायालय द्वारा किसी प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाती है और यह प्रारम्भिक डिक्री किसी अपीलीय न्यायालय द्वारा अपास्त नहीं की जाती है तो इस प्रारम्भिक डिक्री की अनुपालना में बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त कर राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना कर अंतिम डिक्री जारी करनी होती है परन्तु खेद का विषय है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अंतिम डिक्री जारी करने के स्थान पर अपीलाधीन निर्णय पारित कर इस आधार पर दावा खारिज किया है कि पूर्व में निर्णय हो चुका है । पुनः संशोधित वाद में वादी कोई सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । अतः दावा खारिज किया जाता है । पूर्व में जारी निर्णय व डिक्री किसी अपीलीय न्यायालय द्वारा अपास्त नहीं किया जाता है तो उसी की अनुपालना में राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना करते हुए अंतिम डिक्री जारी किया जाना

अपेक्षित है । यदि अधीनस्थ न्यायालय संशोधित वाद के अनुसार कोई सहायता देना उचित नहीं समझते हैं तो भी पूर्व में पारित प्रारम्भिक डिक्री जब तक किसी अपीलीय न्यायालय से अपास्त नहीं होती है उसकी अनुपालना में अंतिम डिक्री जारी किया जाना विधिक रूप से आवश्यक है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.03.2012 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पूर्व में जारी प्रारम्भिक डिक्री की अनुपालना में राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना में बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त कर बंटवारा प्रस्ताव पर उभयपक्ष को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से अंतिम डिक्री पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ नयायालय में दिनांक 25.04.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा